रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1145] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938
No. 1145] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/ VAISAKHA 22, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2016

का.आ. 1714(अ).—यत: दिल्ली मुख्य योजना में इसके अन्तर्गत उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2016 की सार्वजनिक सूचना का.आ.सं. 1077(अ) के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त हुई आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया गया ; और

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधन:

जोन डी में आने वाली भूमि के निम्नलिखित क्षेत्र के भूमि उपयोग में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :—

क्र.सं.	**अवस्थिति**	**क्षेत्र**	**भूमि उपयोग (दि.मु.यो-2021)**	**जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है**	**सीमाएं**
1.	योजना जोन-डी में आने वाले जनपथ, नई दिल्ली में वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल	(7.76 एकड़) 3.14 हेक्टेयर	सरकारी कार्यालय	'आवासीय' (गेस्ट हाऊस)	उत्तर: थापर हाऊस एवं पेट्रोल पम्प दक्षिण: होटल जनपथ पूर्व: जनपथ रोड़ एवं ईस्टर्न कोर्ट पश्चिम: जनपथ लेन एवं केरल हाऊस

[फा. सं. के-13011/6/2015-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2016

S.O. 1714(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 1077(E) dated 12.03.2016 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section(3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 'objections/suggestions' received with regard to the proposed modification have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The land use of the following area of land falling in Zone-D is changed as per description listed below:

Location	**Area**	**Land Use as per MPD-2021/ZDP**	**Land use changed to**	**Boundaries**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Western Court Hostel at Janpath, New Delhi, falling in Planning Zone-'D'	7.76 acres (3.14 ha.)	Government Office	Residential (Guest House)	**North** –Thapar House & Petrol Pump; **South**: Hotel Janpath. **East**-Janpath Road & Eastern Court **West**-Janpath Lane & Kerala House.

[F. No. K-13011/8/2016-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.